न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 35 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जलाल खां पुत्र धीगाड़ा उम्र 78 वर्ष **बनाम**
2. मुबी खां पुत्र धीगाड़ा का.मु.
   2/1मेदेखां पुत्र मुबा खां
   2/2उर्सा खां पुत्र मुबा खां
   2/3सुभान खां पुत्र मुबा खां
   2/4रसूल खां पुत्र मुबा खां
   2/5कसुम्बी पत्नी मुबा खां
3. रिडमल खां पुत्र धीगाड़ा उम्र 63
4. वर्ष जाति मुसलमान निवासी माधा
5. का तला
6. लाखा खां पुत्र धारू खां उम्र 70 वर्ष
   निहाल खां पुत्र धारू खां उम्र 66 वर्ष
   जाति मुसलमान निवासी नया नागड़दा
7. कंभीर खां पुत्र धारू खां उम्र 63 वर्ष
8. रमदान खां पुत्र धारू खां उम्र 58 वर्ष
   जाति मुसलमान निवासी निम्बला नाडा
   तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1.अजीमत पत्नी खमीशा खां उम्र 88 वर्ष
2.उरसा खां पुत्र खमीशा खां उम्र 68 वर्ष
3.मांझी खां पुत्र खमीशा खां उम्र 65 वर्ष
4.चनण खां पुत्र खमीशा खां उम्र 63 वर्ष
5.नसरूदीन पुत्र खमीशा खां उम्र 58 वर्ष
6.इमाम पुत्र सदीक खां उम्र 30 वर्ष
7.दीना पुत्र बगा, उम्र 78 वर्ष जाति मुसलमान निवासी उनरोड़ तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर
8.आरबा पुत्र जमाल खां उम्र 53 वर्ष
9.कादर पुत्र जमाल खां उम्र 32 वर्ष
10.राजी पत्नी जमाल खां उम्र 73 वर्ष
11.हबीब पुत्र जीनत पुत्री अली, उम्र 58 वर्ष
12.जूंझा पुत्र जीनत पुत्री अली उम्र 53 वर्ष
13.रमदान पुत्र जीनत पुत्री अली उम्र 43 वर्ष जाति मुसलमान निवासी नागड़दा तहसील शिव जिला बाड़मेर।
14.मैनेजर, एस.बी.आई. बैक शाखा शिव।
15.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, शिव।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2010 बअनवान खमीशा वगै. बनाम जलाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांकः— 12.09.2019

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील शिव के ग्राम निम्बला नाडा, पटवार क्षेत्र नागड़दा के खेत खसरा संख्या 147, 148, 150, 149 कुल रकबा 112.07 बीघा व ग्राम मोतीनाडा खेत खसरा संख्या 512 रकबा 153 बीघा व ग्राम माधा का तला खेत खसरा संख्या 356, 359 कुल रकबा 37.08 बीघा व ग्राम माधा का तला खसरा संख्या 357, 358 कुल रकबा 57.11 बीघा भूमि अपीलकर्ता संख्या 01 से 03 के पिता व 04 से 07 के दादा धीगाडा व उतरदाता संख्या 08 से 10 के दादा साहबा के स्व–अर्जित व कब्जा काश्त सुदा भूमि थी। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 का कोई कब्जा काश्त न तो पहले कभी रहा व न ही वर्तमान में है। अपीलाधीन आराजी पर पूर्व पूरूष रतना का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं न ही रतना ने इस भूमि पर कभी काश्त की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री केवल मात्र कल्पनाओं के आधार पर जारी की गई। भू प्रबंध से पूर्व रतना खां ग्राम डागरी, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में रहता था एवं वही पर रतना का देहान्त हो गया उनके देहान्त होने के बाद उनका पुत्र बघा खां पाकिस्तान चला गया अली खां वही पर डागरी में ही रहा एवं स्व. धीगाड़ा व साहबा पशुओं को लेकर पशु चराने हेतु वहां से तत्कालील जागीरदारों से यह अपीलाधीन आराजी प्रतिफल देकर क्रय की एवं जिस पर अपनी रहवासी ढाणियां पशुओं के चार बाड़े, पानी के टांके, कलारे आदि एवंज ब भू बंदोबस्त का कार्य प्रारम्भ हुआ तो खसरा संख्या 147, 148, 149, 356, 359, 512 पर स्व. धीगाड़ा का कब्जा काश्त था एवं खसरा संख्या 357, 358 पर स्व. साहबा का कब्जा काश्त था। अपीलाधीन आराजी का पर्चा लगान सही जारी हुआ जिसको चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार अपीलांट को नहीं था। अपीलाधीन आराजी में स्व. बगा का कोई हक हिस्सा होता तो बगा अपनी खातेदारी में अवश्य ही अंकित करवाता। वादीगण का वाद हिन्दू उतराधिकार विधि पर आधारित है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पैतृक व स्व अर्जित सम्पति के बीच में कोई प्रभेद नहीं किया जाता। एक मुस्लिम को प्राप्त सभी सम्पति, चाहे वह उसके स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो या विरासत से प्राप्त की गई हो उसकी व्यक्तिगत सम्पति मानी जाती है। मुस्लिम विधि में संयुक्त मुस्लिम परिवार की कोई वस्तु नहीं होती है। संयुक्त कुटुम्ब पद्धति मुस्लिम विधि में अज्ञात है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2018 को एक प्रार्थना–पत्र हस्तलिखित जिस पर न तो वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर है एवं न ही उस पर कोई कोर्ट फीस है एवं न ही उसकी प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दी गई केवल मात्र पीठासीन अधिकारी ने वादीगण से सांठ–गांठ कर एक तथाकथित प्रार्थना–पत्र धारा 53 को विड्रो करवाने का प्रस्तुत करवाया जिससे यह स्पष्ट है कि इस निर्णय व डिक्री को पारित किया है उसमें संदेह स्पष्ट जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गिड़ा को वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 का कोई कब्जा काश्त न तो पहले कभी रहा व न ही वर्तमान में है। अपीलाधीन आराजी पर पूर्व पूरूष रतना का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं न ही रतना ने इस भूमि पर कभी काश्त की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री केवल मात्र कल्पनाओं के आधार पर जारी की गई। भू प्रबंध से पूर्व रतना खां ग्राम डागरी, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में रहता था एवं वही पर रतना का देहान्त हो गया उनके देहान्त होने के बाद उनका पुत्र बघा खां पाकिस्तान चला गया अली खां वही पर डागरी में ही रहा एवं स्व. धीगाड़ा व साहबा पशुओं को लेकर पशु चराने हेतु वहां से तत्कालील जागीरदारों से यह अपीलाधीन आराजी प्रतिफल देकर क्रय की एवं जिस पर अपनी रहवासी ढाणियां पशुओं के चार बाड़े, पानी के टांके, कलारे आदि एवंज ब भू बंदोबस्त का कार्य प्रारम्भ हुआ तो खसरा संख्या 147, 148, 149, 356, 359, 512 पर स्व. धीगाड़ा का कब्जा काश्त था एवं खसरा संख्या 357, 358 पर स्व. साहबा का कब्जा काश्त था। अपीलाधीन आराजी का पर्चा लगान सही जारी हुआ जिसको चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार अपीलांट को नहीं था। अपीलाधीन आराजी में स्व. बगा का कोई हक हिस्सा होता तो बगा अपनी खातेदारी में अवश्य ही अंकित करवाता। वादीगण का वाद हिन्दू उतराधिकार विधि पर आधारित है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पैतृक व स्व अर्जित सम्पति के बीच में कोई प्रभेद नहीं किया जाता। एक मुस्लिम को प्राप्त सभी सम्पति, चाहे वह उसके स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो या विरासत से प्राप्त की गई हो उसकी व्यक्तिगत सम्पति मानी जाती है। मुस्लिम विधि में संयुक्त मुस्लिम परिवार की कोई वस्तु नहीं होती है। संयुक्त कुटुम्ब पद्धति मुस्लिम विधि में अज्ञात है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2018 को एक प्रार्थना–पत्र हस्तलिखित जिस पर न तो वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर है एवं न ही उस पर कोई कोर्ट फीस है एवं न ही उसकी प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दी गई केवल मात्र पीठासीन अधिकारी ने वादीगण से सांठ–गांठ कर एक तथाकथित प्रार्थना–पत्र धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

53 को विड्रो करवाने का प्रस्तुत करवाया जिससे यह स्पष्ट है कि इस निर्णय व डिक्री को पारित किया है उसमें संदेह स्पष्ट जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वक्त सेटलमेंट रतना फौत होने से अकेले धींगाड़ा के नाम भूमि दर्ज हुई जबकि रतना के चारों पुत्रों के नाम होनी चाहिए थी। वादग्रस्त आराजी पर रतना के चारों पुत्रों के पिरवार का समस्त वादग्रस्त भूमि के 1/4–1/4 हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वास्तव में अपील के पद संख्या 01 में अपीलांट ने जो दावे के संदर्भ में विवादित खेत खसरा संख्या का विवरण दिया है उसमें खसरा संख्या 150 ग्राम नींबला नाडा के संबंध में वादीगण ने वाद में कोई कथन या इस्तदुआ नहीं चाही हैं। अपील के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा संख्या एवं उनके रकबे के संबंध में अंकित तथ्य गलत है। इसमें खसरा संख्या 147, 148, 150, 149 कुल रकबा 112.07 बीघा दर्शाया है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही नहीं है। वास्तव में खसरा संख्या 150 अकेले का रकबा 233.05 बीघा है और इसका संबंध अपीलांटगण और उतरदातागण से नहीं है। वाद में ग्राम नीबंला नाडा के खसरा संख्या 146 रकबा 76.08 बीघा का भी उल्लेख नहीं है जबकि यह भमि भी प्रतिवादी पक्ष से संबंधित है। का उनके खाते में दर्ज है।

खतौनी बंदोबस्त संवत 2014–23 (EXP-4) के मुताबिक ग्राम नागड़दा तहसील शिव के खाता संख्या 100 खसरा संख्या 358 रकबा 57.07 बीघा तथा खसरा संख्या 357 रकबा 0.04 बीघा गैर मुमकिन कुल रकबा 57.11 बीघा जमला मीरा पिता सायबा ब हि बराबर कौम मुसलमान सिंधी साकिन देह खातेदार दर्ज हुआ है। इसी प्रकार खाता संख्या 101 खसरा संख्या 149 रकबा 112 बीघा, 356 रकबा 03.12 बीघा, खसरा संख्या 359 रकबा 33.16 बीघा, खसरा संख्या 512 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

153.05 बीघा, खसरा संख्या 147 रकबा 0.08 बीघा गैर मुमकिन तथा खसरा संख्या 148 0.09 बीघा गैर मुमकिन कुल खसरा 06 रकबा 303 बीघा धींगाणा वल्द रतना कौम मुसलमान सिंधी साकिन देह 35 साल खातेदार दर्ज हुआ है। इस प्रविष्टि का तात्पर्य है कि धिंगाणा के नाम खातेदारी भूमि वक्त बंदोबस्त से 35 साल पूर्व से ही है जबकि जमला, मीरा पिता सायबा स्थाई रूप से खातेदार थे।

वक्त सेटलमेंट मौके पर स्व. रतना का एकमात्र जीवित पुत्र धिंगाणा ही था। रतना के चार बेटे थे जिनमें साहबा के पुत्रों जमला व मीरा के नाम वक्त सेटलमेंट भूमि खातेदारी में दर्ज होकर होकर उनके नाम खसरा संख्या 357 व 358 का पर्चा लगान जारी हुआ। रतना के शेष दो पुत्र अली व बग्गा की भी संभवत मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उनके वारिसनों के नाम वक्त सेटलमेंट खातेदारी में दर्ज होने से रह गए। अली के वारिसों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वे वक्त सेटलमेंट कहां निवास करते थे, परन्तु यह तथ्य है कि **बग्गा के वारिसान ग्राम नागड़दा में रहते थे जो खसरा संख्या 359 में ढाणी बनाकर रहते थे और उनके पिता बग्गा के कब्जे काश्त में खसरा संख्या 359 के अलावा खसरा संख्या 512 का हिस्सा भी था। खेत खसरा संख्या 512 का आज भी स्थानीय लोग 'बग्गे वाली बेवड़' के नाम से जानते है। खसरा संख्या 359 में बग्गा और उनके लड़के खमीशा तथा दीनू की रहवासी ढाणी के भग्नावशेष आज भी मौजूद है।** सन् 2000–2001 तक स्व. बग्गा के पुत्र खसरा संख्या 359 व 512 में बिना किसी दखल के अपना कब्जा काश्त करते आ रहे थे परन्तु तत्पश्चात धींगाणा के पुत्रों में अपने नाम ही खातेदारी हो जाने का कथन करते हुए बग्गा के पुत्रों को बेदखल कर कब्जा काश्त छुड़ा दिया। खमीशा के वारिस उसको आवंटित भूमि में आकर रहने लगे तथा दीना ने ग्राम नागड़दा में लगभग 08.18 बीघा भूमि खरीद कर ली और उसी से ही अपना गुजर बसर करने लगा।

मामले में सच्चाई और न्याय तक पहुंचने के लिए तथ्यपरक छिन्न–भिन्न कड़ियों को जोड़कर समाहित किया गया है।

वादग्रस्त आराजी में से वर्तमान **ग्राम नींबलानाडा के उपरोक्त सभी खसरों में वादीगण उतरदाता संख्या 01 से 07 (स्व. बग्गा के वारिसान) का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा।** इन खसरों में अपीलांट संख्या 01 से 07 (धींगाणा के वारिसान) का ही वक्त सेटलमेंट से अनवरत कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक मौका रिपोर्ट है, जिसका हवाला अपीलाधीन निर्णय में भी दिया गया है, वह एकपक्षीय होकर वादीगण (उतरदाता संख्या 01 से 07) के पूर्णरूपेण पक्ष में है **जो वास्तविक तथ्यों को उजागर नहीं**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करती। वादीगण का वाद भी समग्र रूप में वास्तविक तथ्यों को प्रकट नहीं करता है और अपीलांट (प्रतिवादीगण) के कथन भी सही–सही हकीकत बयां नहीं करते है।

मूलतः अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा दावा लाने का मुख्य आधार है कि स्व. रतना के चारों पुत्र/उनके वारिसान वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट काश्त करते थे परन्तु वादीगण के पिता बग्गा की तब तक मृत्यु हो चुकी थी और उसके कब्जे काश्त वाली भूमि उनके वारिसों के नाम दर्ज नहीं करके सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों ने भूल की। वक्त बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग सिद्धांततः उन व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज करता था जिनके कब्जे काश्त में भूमि हुआ करती थी। वक्त पैमाईश यदि मौके पर परिवार का कोई मुखिया या एक ही प्रतिनिधि उपस्थित रहता था तो उसी के नाम पर खातेदारी अंकन कर पर्चा लगान जारी कर दिया जाता था। अवयस्क या अनुपस्थित व्यक्ति के नाम बहुधा खातेदारी अंकन कर पर्चा लगान जारी नहीं किया जाना था। अपीलाधीन वाद का आधार ही कब्जा काश्त वाली भूमि पर खातेदारी अंकन नहीं कर पर्चा लगान उनके नाम जारी नहीं करने का ही है। सेटलमेंट के वक्त न तो हिंदू विधि और न ही मुस्लिम विधि का राजस्व अभिलेख में कोई हवाला ही दिया जाता था इसलिए दावे का अधार व्यक्तिगत विधि न होकर सेटलमेंट की भूल को सुधार कर अपने कब्जे काश्त वाली भूमि में अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु धारा 88 का दावा किया गया है। वादीगण के दावे में मुस्लिम विधि से शासित होने का कोई कथन नहीं है इसके बावजूद भी अपीलांटगण ने अपनी अपील में इसका अंकन कर एतराज जताया और दलील दी है जिसे दावे में कथित न करने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता। दावे को डिक्री करने का मूल आधार वादग्रस्त आराजी में से जिन खसरा नंबरों के रकबे पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त सिद्ध हो उन पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हो। उभयपक्ष के गवाहान ने भी एक ही राग में लगभग समान कथन किये है जो संतुलित नहीं है लिहाजा सूक्ष्मता से इनका परीक्षण और मौका की वास्तविक कब्जा काश्त की जानकारी लेना न्यायालय ने न्यायसंगत और उचित समझा। मुताबिक विश्वस्त जानकारी जो तथ्य प्रकट हुए है उनके आधार पर अपील का निर्णय किया जाना तय किया।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2010 बअनवान खमीशा वगै. बनाम जलाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.04.2018 को निम्नलिखित रूप में आंशिक रूप से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर संशोधित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय मुताबिक खातेदारी घोषणा			अपील में निर्णय मुताबिक खातेदारी अंकन का विवरण			
ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	सह काश्तकारों का हिस्सा सहित विवरण
माधा का तला	359	33.16 बीघा	माधा का तला	359 611/359 612/359 613/359	5.15 9.07 9.07 9.07 योग 33.16 बीघा	रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 को संपूर्ण हिस्सा
मोती नाडा	512	153.05 बीघा	गुलबाणियों की ढाणी	512 635/512 636/512 637/512	66.03 38.06 38.07 10.04 योग 153 बीघा	रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 का 1/4 हिस्सा शेष बदस्तूर

सरकारी खाता संख्या 01 में खसरा संख्या 643/512 रकबा 05 बिस्वा भूमि सरकार के खाते में समर्पित की जा चुकी है।

उपरोक्त के अलावा शेष वादग्रस्त खसरों में रेस्पोडेंटस की अपीलाधीन निर्णय से घोषित खातेदारी निरस्त की जाती है।

इस प्रकार ग्राम नीबलानाडा के समस्त खसरों ग्राम माधा का तला के खसरा संख्या 356, 357, 358 में रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 को कोई खातेदारी नहीं दी जा रही है। ग्राम माधा का तला के खसरा संख्या 359 संपूर्ण रकबा पर रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 को खातेदारी की घोषणा की जाती है। ग्राम गुलबाणियों की ढाणी वादग्रस्त खसरों में 1/4 हिस्सा रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 07 का खातेदारी में घोषित किया जाता है। इनके अलावा वादग्रस्त भूमि में से शेष सभी अंकन यथावत रखे जाते है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की पालना में उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

12/9/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner